



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID – examcontroller@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 172 / परीक्षा / एम०एस०यू० / 2026-27

दिनांक: 09/10/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान।

शैक्षणिक समन्वयक,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय :- विषम-सेमेस्टर के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मेजर विषय के साथ माईनर/स्किल डेवलेपमेंट/वोकेशनल/को-करिकुलर कोर्स विषय का महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, विश्वविद्यालय के पत्र 161/परीक्षा/एम०एस०यू०/2026-27, दिनांक 30.09.2026 के द्वारा सत्र 2026-27 में स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के विषय चयन (Subject Selection) कर विश्वविद्यालय के पोर्टल <https://msuweb.in> पर 06.10.2026 तक ऑनलाइन अपलोड करने हेतु महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया था, किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं के विषय चयन (Subject Selection) कर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड नहीं किये गये हैं। सत्र 2026-27 में स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के मेजर विषय के साथ माईनर/स्किल डेवलेपमेंट/वोकेशनल/को-करिकुलर कोर्स विषय चयन (Subject Selection) कर विश्वविद्यालय के पोर्टल <https://msuweb.in> पर ऑनलाइन अपलोड करने हेतु दिनांक 10.10.2026 तक विस्तारित की जाती है।

उपरोक्त के क्रम में महाविद्यालय दिनांक 10.10.2026 तक सत्र 2026-27 में स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के मेजर विषय के साथ माईनर/स्किल डेवलेपमेंट/वोकेशनल/को-करिकुलर कोर्स विषय का विश्वविद्यालय के पोर्टल <https://msuweb.in> पर ऑनलाइन विषय चयन (Subject Selection) करना सुनिश्चित करें। यदि छात्र/छात्रा का सम्बन्धित पाठ्यक्रम का विषय चयन (Subject Selection) नहीं होता है तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या का होगा।

भवदीय,
8/10/2026
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलसचिव।
2. उपकुलसचिव।
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
4. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. अधिकृत एजेन्सी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव